88/2016 जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

No.

<u>अपील सूचना अधिकार संख्या 88/2016 अनवानी श्री राधेश्याम गोयल पुत्र स्व0 श्री भगवानदास गोयल जाति अग्रवाल निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर बनाम अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर) श्रीगंगानगर</u>

A3

<u>07–02–2017</u>

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल उपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। अपीलार्थी की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी का कथन है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 11.03.2016 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर) श्रीगंगानगर से चाही गई सूचना उनके द्वारा जानबूझकर उपलब्ध नही करवाई गई है जो उसे उपलब्ध करवाई जावे एवं लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध न करवाये जाने के कारण उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे एवं उन पर 25000 रूपये का जुर्माना लगाया जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल ने अपने सूचना के अधिकार अधिनियम के आवेदन पत्र दिनांक 11.03.2016 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी, जिला कलक्टर कार्यालय, श्रीगंगानगर से निम्न सूचनांए चाही थीः–

> श्री करतारसिंह पूनियां तत्कालीन आयुक्त नगर परिषद श्रीगंगानगर द्वारा अपने पत्रांक 1659–0061 दिनांक 15.04.2015 के बिन्दु संख्या 2 में यह अंकित किया है कि बी.एल.ओ. भाग संख्या 1 से 6 व 79 से 123 तक के बी.एल.ओ. की डयूटी तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर के अधिकार क्षेत्र में है।
>
> उपरोक्त कथन जिस पत्र/दस्तावेज या सरकार का आदेश या नियम के अन्तर्गत अंकित किये गये है उसकी सूचना तत्कालीन आयुक्त नगर परिषद श्रीगंगानगर के शपथ पत्र /दस्तावेज/आदेश व नियम की प्रमाणित प्रतिलिपि।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर) श्रीगंगानगर से टिप्पणी एवं रिकार्ड चाहा गया तो उनके द्वारा अध्यक्ष, नगर परिषद श्रीगंगानगर को लिखा गया कि आवेदक का मूल आवेदन पत्र उनके कार्यालय के पत्र सं0 546 दिनांक 21.03.16 से लोक सूचना अधिकारी, नगर परिषद श्रीगंगानगर को भिजवाया गया है मूल अपील आपके श्रवणाधिकार की होने के कारण आपको भिजवायी जा रही है जिसका समय सीमा में निस्तारण कर अपीलार्थी को अवगत करवावे एवं पत्र की प्रति जरिये पत्रांक 1018 दिनांक 25.05.16 से इस कार्यालय को प्रेषित की है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर) श्रीगंगानगर को सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(1) का प्रा0 पत्र दिनांक 11.03.2016 का प्रस्तुत किया था। अपीलार्थी द्वारा उक्त प्रा0 पत्र में चाही गई सूचनाओ के संबंध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को कोई उत्तर दिया जाना प्रतीत नही होता है। इसलिए अपीलार्थी की अपील स्वीकार करने योग्य है।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

P.T.O

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है और लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर) श्रीगंगानगर को आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में आदेश प्राप्ति से 7 दिवस के भीतर नियमानुसार निर्णय करें। आदेश की प्रति और लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर) श्रीगंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 07.02.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञा.रा.

(ज्ञाना राम)

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर